

पीएम वशिवकरमा योजना की दूसरी वर्षगाँठ

स्रोत: पी. आई. बी.

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने बिहार के बोधगया में 'पीएम वशिवकरमा एवं राष्ट्रीय SC-ST हब मेगा कॉन्क्लेव' का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पीएम वशिवकरमा योजना की दूसरी वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

पीएम वशिवकरमा योजना

- **परिचय:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसने 17 सितंबर, 2023 को हाथों और उपकरणों की सहायता से कार्य करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था।
- **कार्यान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय MSME, कौशल विकास और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- **पात्रता:** आवेदक को स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में हाथों और औजारों की सहायता से कार्य करने वाला कारीगर या शिल्पकार होना चाहिये। पंजीकरण के समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये तथा पंजीकरण के समय वह व्यापार में सक्रिय रूप से कार्यरत होना चाहिये।
 - 18 पात्र व्यवसायों में बढ़ई, नाव निर्माता, शस्त्र निर्माता, लोहार, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार आदि शामिल हैं।
- **बहिष्करण:** वे लाभार्थी जिन्होंने वगित 5 वर्षों में स्वरोजगार या व्यवसाय विकास के लिये केंद्र या राज्य की समान ऋण-आधारित योजनाओं के तहत ऋण लिया हो।
- **उपलब्धियाँ:** दो वर्षों में 23 लाख लोगों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, 8 लाख टूलकटि प्रदान किये गए। 5 लाख कारीगरों को बना किसी गारंटी के 4,100 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गए हैं।"

PM विश्वकर्मा योजना

हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के वास्तुकार-

विश्वकर्मा को सम्मानित करने के लिये विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है।

मान्यता है कि विश्वकर्मा पौराणिक शहर लंका तथा ओडिशा में स्थित पुरी में जगन्नाथ की अद्भुत प्रतिमा के वास्तुकार थे।

उद्देश्य

- पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों का उत्थान करना।
- भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
- औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य श्रृंखला में परिवर्तन।

कार्यान्वयन मंत्रालय

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (नोडल मंत्रालय)
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय)

योजना का प्रकार

- केंद्रीय क्षेत्र योजना

समयावधि

- 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक)

विशेषताएँ

- 5% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की संपादिक-मुक्त ऋण सहायता।
- नामांकित कारीगरों व शिल्पकारों के लिये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं एक पहचान पत्र।

पंजीकरण

- ग्रामों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर

कवरेज/व्याप्ति - 18 पारंपरिक व्यापार क्षेत्र

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| बढ़ई (सुथार) | मोची (चर्मकार) |
| नाव निर्माता | राजमिस्त्री |
| अस्त्र बनाने वाला | टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/जूट बुनकर |
| लोहार | गुड़िया और खिलौना निर्माता |
| हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता | नाई |
| ताला बनाने वाला | माला बनाने वाले |
| सुनार | धोबी |
| कुम्हार | दर्जी |
| मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला | मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला |

स्टाइपेण्ड एवं प्रोत्साहन

- कौशल प्रशिक्षण के लिये 500 रुपए (स्टाइपेण्ड)
- आधुनिक उपकरण खरीदने के लिये 1,500 रुपए
- टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपए

महत्त्व

- कारीगरों को सम्मान/समर्थन तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उनको शामिल करना।



और पढ़ें: [PM विश्वकर्मा योजना](#)